देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0-16/2022
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: जून 28, 2022

विषय- क्रिग0गिस0बेल प्रार्थना पत्र सं0-2239/2022 आरिफ नूर उर्फ हरी मिर्च बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति के दो अन्य जमानत प्रार्थना पत्रो में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.06.2022 के अनुपालन में NDPS ACT 1985 की विवेचना हेतु निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

NDPS ACT 1985 के अभियोगो की विवेचना हेतु इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये है, जिनका उल्लेख पार्श्वांकित वॉक्स में किया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा क्रिम0मिस0बेल प्रार्थना पत्र सं0-2239/2022 आरिफ नूर उर्फ हरी मिर्च बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति के दो अन्य जमानत प्रार्थना पत्रो पर सुनवाई के उपरान्त निम्नवत आदेश पारित किये गये है-

डीजी परिपत्र सं0-04/2013 दिनांक 23.01.2013
डीजी परिपत्र सं0-21/2014 दिनांक 04.04.2014
डीजी परिपत्र सं0-17/2021 दिनांक 25.05.2021

The Superintendent of Police, Ghazipur shall file his personal affidavit disclosing the status of the investigation on the following issues:-

A. Place and the persons from whom the drugs were procured.

B. Place of manufacture of the drugs and the persons who were responsible for the same.

C. The identity and names of the persons who purchased the drugs.

D. The point of origin where the narcotic drugs were loaded in the vehicles, and the persons who were responsible for loading the same.

E. Destination and details of persons to whom the narcotic drugs were required to the delivered.

F. Manner in which orders for the drugs were placed and the persons who placed the orders with the originator.

G. The entire chain of the drug business in this case has to be disclosed.

The Court notices that invariably despite the stringent provisions of the NDPS Act, investigating agencies take short cuts and end up charging the driver and the cleaner of the vehicle only. The big fish are most often excluded from purview of investigations. Of course these issues arise in peculiar facts and circumstances of each case. But the level of investigations has to be raised and professionalism of investigators has to be enhanced.

Government Advocate to communicate a copy of this order to the Director General of Police, Government of U.P. Lucknow, for taking appropriate steps as per law.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि फील्ड स्तर पर NDPS ACT 1985 के मामलो में विवेचको द्वारा बिना गहराई से विवेचना किये आरोप पत्र प्रेषित किये जा रहें है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आदेश में उल्लेखित 6 बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से विवेचना किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिससे मादक पदार्थो के व्यापार मे जुड़े शीर्ष अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांकित 02.06.2022 के अनुपालन में NDPS ACT 1985 के अभियोगो की विवेचना हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते है-

(1) विवेचनाधीन मामले में कितने प्रकार के अपराध किए गए हैं? यह अपराध में शामिल Narcotic Drug (स्वापक औषधि), Psychotropic Substances (मनप्रभावी पदार्थ) अथवा Controlled Substances (नियंत्रित पदार्थ) की प्रकृति, जब्त की गई मात्रा तथा स्वापक औषधि, मनप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ आदि से सम्बन्धित अपराधिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, विनिर्माण, बिक्री, उपभोग, वितरण,आयात या निर्यात, वित्त-पोषण, आश्रय देने, सहयोग देने और अपराध के लिए उत्साहित करने आदि पर निर्भर करेगा।

(2) कौन सीधा उल्लंघनकर्ता/अपराधी है? उनकी पूरी पहचान और व्यक्तिगत ब्यौरे।

(3) ऐसे कौन से षडयन्त्रकारी और अपराध के प्रोत्साहक हैं जिन्होंने अपराध करने के लिए सहयोग दिया है? उनकी पूरी पहचान और व्यक्तिगत ब्यौरे।

(4) ड्रग्स के उत्पादन और निर्माण का क्या स्रोत है? क्या यह वैध स्रोतों से अंतरण का मामला है?

(5) ड्रग्स का गंतव्य स्थान क्या है?

(6) ड्रग्स के वितरण का क्या मार्ग है और उनके लाने ले जाने का साधन/माध्यम क्या है?

(7) ड्रग्स की विचारणीय बिक्री/खरीद क्या है?

(8) भुगतान का माध्यम क्या है?

(9) क्या कोई विषेश स्थल, व्यक्ति, वैध फैक्टरी/अवैध फैक्टरी/प्रयोगशाला भी इसमें शामिल है?

(10) क्या विगत अपराधों और दोष सिद्ध होने का कोई इतिहास है?

(11) क्या अपराध में आयात/निर्यात लिप्त है?

(12) क्या अपराध किसी गिरोह अथवा दल द्वारा संचालित है? यदि हां तो ऐसे सदस्यों के ब्यौरे, प्रत्येक सदस्य अथवा उपसमूह की भूमिकाएं।

(13) कार्य-प्रणाली क्या है और मुख्य तरीका क्या है?

(14) आपराधिक कारोबार और लाभ की मात्रा क्या है?

(15) लाभ को कहां और कैसे लाभ जमा किया जाता है, क्या इससे संपत्ति खरीदी जाती है अथवा इसे, छिपाया जाता है, बदला जाता है या अन्यथा किसी प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है?

(16) क्या कोई अन्य आपराधिक कारोबार चल रहा/विचाराधीन है?

(17) वांछित सूचना/दस्तावेज प्राप्त करने के लिए किस व्यक्ति/विभाग/प्राधिकारी से किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है?

(18) एनडीपीएस एक्ट 1985 के अध्याय 5 की धारा 42,43,50,52ए,55 तथा 57 में आज्ञापक प्राविधान दिये गये है जिनका अनुपालन विवेचानाधिकारी द्वारा नियमानुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(19) निष्पक्ष विवेचना, निष्पक्ष सुनवाई की नींव है इसलिये यह आवश्यक है कि सूचना देने वाला अधिकारी एवं अन्वेषण अधिकारी एक ही व्यक्ति नही होना चाहिये ।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्गत निर्देशों से विवेचकों को अवगत करायें तथा उन्हें निर्देशित करे कि NDPS ACT 1985 के अभियोगों की विवेचना के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इंगित 6 बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से विवेचना की जाये तथा इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाय कि मादक द्रव्य के व्यापार में संलिप्त शीर्ष अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। NDPS ACT 1985 के अभियोगों की विवेचना की बारीकियों से विवेचकों को अवगत कराने हेतु कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कराया जाये, जिसमें विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विवेचकों को एनडीपीएस अधिनियम के प्राविधानो से परिचित कराया जाय तथा विवेचना के सम्बन्ध में उनकी शंकाओ का समाधान भी किया जाये। विवेचना के दौरान उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले विवेचको के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
28/6/2021

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।